

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय का पता:- कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर लक्ष्मी निवास पैलेस के पास, लालगढ़ रोड़, बीकानेर
दूरभाष - 0151-2226557 ईमेल - aayukt.ele@gmail.com

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/स्टा.पै./2018/516

दिनांक : 29.09.2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

प्रारम्भिक शिक्षा

समस्त जिले।

विषय- शालादर्पण पोर्टल पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्या.) प्रा.शिक्षा लॉगिन से मैपिंग किये जाने के संदर्भ में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है शाला दर्पण पोर्टल पर आपकी लॉगिन से आपके अधीनस्थ प्रदर्शित अधिशेष/अप्रदर्शित/कार्यग्रहण की प्रतीक्षा वाले/कार्यमुक्त नहीं कार्मिकों की मैपिंग करने संबंधी मॉड्यूल पूर्व से ही उपलब्ध है लेकिन उक्त मॉड्यूल में वर्तमान में अधिशेष/अप्रदर्शित/कार्यग्रहण की प्रतीक्षा वाले/कार्यमुक्त नहीं कार्मिकों की मैपिंग अद्यतन नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित मॉड्यूल्स में दिनांक 02.10.2020 तक मैपिंग आवश्यक रूप से अपडेट करवाया जाना सुनिश्चित करावे-

1. “प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित लेकिन कार्यमुक्त नहीं कार्मिकों की मैपिंग”- प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित जिन अध्यापकों का सेट-अप परिवर्तन पश्चात् माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापन/समायोजन हो चुका है परन्तु माध्यमिक शिक्षा में नवीन पदस्थापन हेतु कार्यमुक्त नहीं हुए कार्मिकों की “प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित कार्मिकों की मैपिंग करें” मॉड्यूल द्वारा आपके लॉगिन से मैपिंग की जाती है। उपरोक्त मैपिंग किए हुए कार्मिकों में से जिन कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्यमुक्त नहीं किया गया है उनकी पोर्टल पर कार्यमुक्त नहीं किये जाने की कारणवार मैपिंग की जानी है। जिसमें उपलब्ध कारणों में से उचित कारण का चयन करते हुये मैपिंग की जानी है।
2. शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व विद्यालय से कार्यमुक्त होने के पश्चात नव स्थानान्तरित/पदस्थापित विद्यालय में पोर्टल पर कार्यग्रहण की प्रतीक्षा वाले कार्मिकों की कार्यग्रहण नहीं किये जाने की कारणवार मैपिंग “विद्यालयों में जोड़निंग की प्रतीक्षा वाले कार्मिकों की मैपिंग करें” मॉड्यूल में की जानी है।
3. शाला दर्पण पोर्टल पर “अधिशेष कार्मिकों की मैपिंग” मॉड्यूल में संबंधित जिले के ब्लॉकवार कार्मिकों की सूची प्रदर्शित है जिसमें कार्मिक के सामने दिये गये कारणों में से उचित कारण का चुनाव करते हुए मैपिंग की जानी है।
4. काउंसलिंग द्वारा पदस्थापित/समायोजित ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति/समायोजन आदेश जारी होने के पश्चात कार्यग्रहण की अंतिम तिथि निकल चुकी है लेकिन पोर्टल पर उनके कार्यग्रहण की प्रविष्टि नहीं की गई है। उक्त कार्मिकों की कार्यग्रहण नहीं किये जाने की कारणवार मैपिंग “कार्यग्रहण की अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण नहीं किए हुए अभ्यर्थियों की मैपिंग करें” मॉड्यूल में की जानी है।

उपर्युक्तानुसार मॉड्यूलस में मैपिंग का कार्य दिनांक 02.10.2020 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना है। मैपिंग कार्य को नियत समय पर पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिये आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
संलग्न- पोर्टल पर संबंधित मॉड्यूलस में मैपिंग की वर्तमान जिलेवार रिपोर्ट।

(अशोक सांगवा)

R.A.S.

www.rajteachers.com

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/प्रारं/शालादर्शन/सी/स्टा.पै./2018/517
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 29.09.2020

1. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. उपनिदेशक शालादर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त संभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीनस्थ कार्यालय को पाबन्द कर मैपिंग कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीनस्थ कार्यालय से पत्र की पालना निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर